

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024 -25/554

दिनांक 03-02-2025

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :-Prop[osal for Diversion of 286.47 ha of forest land in favour ofExecutive water
Resource Division III ,Baran Construction of Hathiyadeh Medium Irrigation
Project in Baran District. Proposal no :- FP/RJ/IRRIG/27263/2017)

संदर्भ:- अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर
के पत्र क्रमांक 3777 दिनांक 24.12.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा जारी ई.डी.एस दिनांक 24-12-2024 से चाही गई रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

SN	EDS	Date 24.12.2024	Reply
1.	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा जल समागम योजना प्रस्तुत की गई है किंतु योजना उप वन संरक्षक एवं आप द्वारा तकनीकी रूप से जांच किया जाकर अनुमोदित हेतु अभिषंशा नहीं की गई है योजना में वृक्षारोपण मॉडल में दरे सही नहीं है वृक्षारोपण कहाँ होगा स्पष्ट नहीं है 126 वर्ग किमी क्षेत्र में किस आधार पर एनीकट, गेवियन स्ट्रेक्चर की संख्या आंकलित की गई है आदि को स्पष्ट नहीं किया गया है		अनुमोदित कट प्लान में प्रस्तावित कार्य विभागीय मॉडल अनुसार ही प्रस्तावित है। उक्त कट प्लान को अनुमोदन हेतु वर्ष 2020 में तैयार किया गया था एवं वृक्षारोपण माडल की दरे वर्ष 2020 की वी.एस.आर के अनुसार ली गई है। इस कट प्लान के तहत उपचार की आवश्यकता वाला कुल क्षेत्रफल 121.65 वर्ग कि.मी. कुल कैचमेंट क्षेत्र 202.75 वर्ग कि.मी. के 60 प्रतिशत से अधिक के हिस्से को शामिल कर तैयार किया गया है।
2.	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में पूर्व में उप वन संरक्षक बारां द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि में जूलीपलोर की सघनता होने के कारण परिभ्रमणित वन भूमि DFL पर वृक्षारोपण चयनित किया गया था किन्तु आप द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर में उप वन संरक्षक द्वारा गैर वन भूमि में ही जूलीपलोर हटाए जाने के बाद वृक्षारोपण किया जाना अंकित किया गया है उक्त बदलाव का कारण स्पष्ट नहीं है बार-बार सूचनाओं बदलाव कर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है जिससे स्पष्ट किया जाना है प्रकरण में स्थल उपयुक्त अनुसार ही वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है एवं पोर्टल पर अन्य योजनाएं जो संबंध नहीं है उन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है जूलीपलोर हटाए जाने के संबंध में योजना के अंतर्गत राशि का प्रावधान नहीं रखा गया है क्षेत्र में वन्यजीवों के दृष्टिकोण से जूलीपलोर हटाने के संबंध में तकनीकी नोट भी संलग्न नहीं किया गया है।		उक्त परियोजना के बदले दी गई गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना है (एन.एफ.एल) चूकि दी गई भूमि पर जूली पलोर की सघनता होने से, पहले समस्त जूलीपलोरा मौके से हटाया जाएगा तदुपरांत ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाएगा किसी प्रकार का डी.एफ.एल कार्य नहीं किया जाएगा। जूलीपलोरा हटाने के लिये अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है। विभागीय माडल अनुसार सी.ए स्कीम संलग्न कर दी गई है। जो कि इस हेतु पर्याप्त बजट रहेगा।
3.	पालना अपूर्ण। प्रस्ताव में ग्रामवार प्राप्त गैर वन भूमि का विवरण संलग्न नहीं किया गया है साथ ही वन संरक्षण एवं वन संवर्धन नियम 2023 के		प्रस्ताव के साथ गैर वन भूमि का विवरण संलग्न कर दिया गया है। तथा छत्र घनत्व प्राप्त गैर वन भूमि का 0.3 से कम है।

	नियम 13 के अनुरूप छत्र घनत्व के अनुसार कोई टिप्पणी नहीं की गई है।	
4	पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना नवीन क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न की गई है जिसका कारण स्पष्ट नहीं है साथ ही पूर्व में प्रेषित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना के दस्तावेजों को भी पोर्टल से नहीं हटाये गये हैं।	संपूर्ण भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एन.एफ.एल ही करवाया जाएगा डी.एफ.एल से संबंधित सभी दस्तावेज हटा दिए गए हैं
5	पालना अपूर्ण। यूजर एजेंसी द्वारा पार्ट 1 में तकनीकी रिपोर्ट संलग्न की गई है किंतु उसमें वर्तमान फसल पैटर्न कुल लाभान्वित जनसंख्या भविष्य में फसल में बदलाव एवं इससे होने वाले सामाजिक आर्थिक लाभों को सूचना का अभाव है।	उक्त परियोजना के क्रियान्वयन से लगभग 54 गांवों की 6885 हेक्टर भूमि के फसल चक्र में सार्थक बदलाव होगा। पूर्व में जहां इस भूमि पर केवल वर्षा आधारित खरीफ फसल जैसे बाजरा, ज्वार इत्यादी की खेती की जाती थी। इस परियोजना के क्रियान्वयन से वर्षा आधारित खरीफ फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी, साथ ही रबी की फसल गेहूँ चना सरसो इत्यादी हेतु अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र की काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं क्षेत्र की 25 हजार अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार सहित लगभग 80000 जनसंख्या के समाजित एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि होगी क्षेत्र के भू जल स्तर में वृद्धि से परम्परागत जल स्रोतों का भी दोहन कम होगा।

संलग्न उपरोक्तानुसार:-


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/555-56 दिनांक 3-2-2025
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खंड बारां।


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

कमांक-एफ-4(5)(राजस्व/22/

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, बारां
दिनांक

2022

- आदेश :-

अधीक्षण अगियन्ता, जल साराधन वृत्त बारां के प्रस्ताव दिनांक 28.07.2022 अनुसार हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण में आ रही 44 हेक्टर वन भूमि के समतुल्य अन्य राजकीय सिंचाईयक भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत कर आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त 44 हेक्टर वन भूमि हथियादेह परियोजना हेतु रोड अपार्ट राजस्व भूमि 288.50 हेक्टर में से नोनेरा बैराज के ड्यू में आयी भूमि है। उक्त का विवरण निम्नानुसार है :-

क.स.	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
1		02	2.252
2		08	3.602
3	पादूरदा	10	1.363
4		1025	0.805
5		1026	1.518
6		1109	0.500
7		1113	2.299
8		1114	0.382
	योग		12.721
1		54	3.10
2		55	5.23
3	तीखोद	56	3.928
4		57	2.271
5		86	4.15
6		96	5.05
7		98	4.13
8		99	3.42
	योग		31.279
	कुल योग		44.00

इस कार्यालय के पूर्व आदेश कमांक एफ-4(5)(राजस्व/2020/3483-98 दिनांक 23.10.2020 से Eastern Rajasthan Canal Project (E.R.C.P.) के अन्तर्गत नोनेरा बैराज हेतु 119.409 हेक्टर राजकीय सिंचाईयक भूमि दी गई थी। अधिशाषी अगियन्ता, जल साराधन नोनेरा बैराज के ड्यू में आयी कोटा ने अपने पत्र कमांक 1099 दिनांक 29.09.2022 से अवगत कराया की नोनेरा बैराज के ड्यू में आयी बारां जिले की वन भूमि 75.409 हेक्टर है, जबकि 119.409 हेक्टर आवंटित की गई है, फलस्वरूप शेष 44 हेक्टर भूमि वन विभाग के पास सुरक्षित है, जिसको हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु समायोजित करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त 119.409 हेक्टर वन भूमि का कब्जा/दखल वन विभाग को दिनांक 31.12.2020 तथा दिनांक 11.11.2020 को सौंपा दिया गया है। उक्त कम में वन विभाग, बारां के पत्र कमांक 19551 दिनांक 08.12.2021 से अवगत करवाया गया कि वन विभाग को 44 हे० अति० भूमि आवंटित हो गई है।

अतः वन विभाग को नोनेरा बैराज हेतु पूर्व में दी गई 119.409 हेक्टर भूमि में से 44 हेक्टर भूमि का समायोजन हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज, जिला बारां में किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती है।

(नरेंद्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

दिनांक 17.11.2022

कमांक-एफ-4(5)(राजस्व/22/11066-77
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर
2. अधीक्षण अगियन्ता, जल साराधन, वृत्त कोटा।
3. उप वन सारक्षक, बारां।
4. अधीक्षण अगियन्ता, जल साराधन वृत्त, बारां।
5. अधिशाषी अगियन्ता, जल साराधन खण्ड पृथ्वी, बारां।
6. उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज/शाहबाद/अंता।
7. तहसीलदार, किशनगंज/शाहबाद/अंता।
8. रक्षित पत्रावली।

अति० जिला कलक्टर,
बारां